न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 09/17 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2017/00126

उनवान

1. श्रीलाल पुत्र खेमराज जाति कोली निवासी ग्राम खेरली तहसील व जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, धौलपुर
2. तहसीलदार धौलपुर।
3. राज0 उच्च प्राथमिक विधालय मढाभाऊ जरिये प्रधानाध्यापक।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर दिनांक 08.05.2017 उनवानी श्रीलाल बनाम सरकार मु0न0 09/17

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री निशान्त भार्गव उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 25.10.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के आदेश दिनांक 08.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलाण्ट ने मूल दावा के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम मढामाऊ तहसील धौलपुर में स्थित है। विवादित आराजी साविक खसरा नम्बर 175 में से 03 बीघा 10 विस्वा रकवा अपीलाण्ट को विधिवत रूप से आवंटित हुआ था। जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 209/1 रकवा 03 बीघा 4 विस्वा बना। बाद आवंटन अपीलाण्ट उक्त आराजी पर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है। इसके बाद भी उक्त आराजी रैस्पो0 संख्या 03 को गलत रूप से आवंटित कर दी गयी। उक्त गलत आवंटन के आधार पर अप्रार्थी रैस्पो0 संख्या 03 विवादित आराजी से

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

अपीलाण्ट को बेदखल करने की धमकी देते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद भी राजकीय अभिभाषक उपस्थित नहीं आये। अतः बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। विवादित आराजी सांविक रिकार्ड अनुसार कभी चारागाह के रूप में दर्ज नहीं रही है। अपीलाण्ट को विवादित आराजी का आवंटन विधिवत हुआ है। परन्तु बन्दोबस्त विभाग ने बाद में विवादित आराजी को चारागाह दर्ज कर दिया। जबकि बन्दोबस्त विभाग को इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन के कोई अधिकार हासिल नहीं थे। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में ना रखकर राजस्व लोक अदालत में अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का मौका दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट ने न्यायालय हाजा में रैस्पो0 संख्या 03 को हुये आवंटन के विरूद्ध अपील भी प्रस्तुत की गयी थी, जो दिनांक 07.04.2000 को आंशिक स्वीकार होकर विवादित आराजी में अपीलांट के पक्ष में हुये आवंटन की भूमि को छोडकर, शेष भूमि में विधालय को कब्जा दिलाये जाने के आदेश हुये। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अपीलाण्ट के पक्ष में बखूबी साबित है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अपीलाण्ट विवादित भूमि को अपने पक्ष में आवंटन होना कथन करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान में विवादित भूमि चारागाह दर्ज है। अपीलाण्ट का कथन है कि बन्दोबस्त विभाग ने दौराने बन्दोबस्त विवादित भूमि को चारागाह दर्ज किया है। परन्तु ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। हम यह भी पाते हैं कि विवादित भूमि में से कुछ भाग का आवंटन विद्यालय को भी किया गया है। यह सही है कि न्यायालय हाजा द्वारा आदेश दिनांक 07.04.2000 से अपीलाण्ट की अपील संख्या 32/98 आंशिक स्वीकार करते हुये अपीलाण्ट को आवंटित शुदा रकवा 02 बीघा 18 विस्वा भूमि को छोडकर शेष भूमि की नाप कराकर उसमें से 02 बीघा भूमि पर कब्जा विद्यालय को दिलाये जाने के आदेश दिये हैं। परन्तु उक्त आदेश की अपील हुयी या नहीं। हालांकि ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। परन्तु राजकीय अभिभाषक प्रकरण में गैर हाजिर रहें है। अतः न्यायालय के मत में उक्त आदेश की अपील होने की भी आशंका है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अपीलाण्ट के विवादित आराजी में स्वत्व व अधिकार मूल दावे में तय होने शेष हैं। वर्तमान में विवादित आराजी चारागाह दर्ज होने एवं उसके कुछ भाग का आवंटन विद्यालय को होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन अपीलाण्ट के पक्ष में ना

भू-प्रबन्ध अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

होकर राज्य हित में अधिक पुष्ट होता है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय दिनांक 08.05.2017 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 25.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर